कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

Tele Phone/Fax No-01374-223804 Email eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com

पंत्राक 18 /पी.एम.जी.एस.वाई./ दिनांक 06/01/ 2017

सेवामे,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषयः— जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत महिडाण्डा मोटर मार्ग से बग्यालगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.731 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या—799/X-4-17/1(108)/2017 दिनांक—07.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नलिखित है—

क्र.सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	वनभूमि प्रत्यावर्तन किये जाने वाले उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के भूस्वामियों/किसानों द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र पर कुछ भूस्वामियों/ किसानों की अनापत्ति/हस्ताक्षर है, जबकि कुछ के नही है, कृपया सभी की अनापत्ति/हस्ताक्षर अपेक्षित है। उक्त अनापत्ति/हस्ताक्षर सम्बन्धित प्रारूप पर उपलब्ध करायें।	उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित समस्त भूस्वामियो/किसानों के अनापत्ति/हस्ताक्षर सम्बन्धित प्रारूप पर करवाकर अपलोड कर दिये गये है, एवं हार्डकापी संलग्न कर दी गयी है।
2	ऑन लाईन फार्म—ए, पार्ट—1(1) (एक्स) 30 वर्ष के लिए भूमि हस्तान्तरण प्रयोजन का उल्लेख है। वही शासन को सम्बोधित नोडल अधिकारी के पत्र में मात्र वनभूमि प्रत्यावेदन किये जाने का उल्लेख किया गया है, यदि मामला वनभूमि प्रत्यावर्तन का है, तो इसमें 30 वर्ष का उल्लेख क्यो किया गया है, स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	ऑन लाईन फार्म—ए, पार्ट—1(1) (एक्स) में 30 वर्ष के लिए भूमि हस्तान्तरण प्रयोजन का उल्लेख भूलवश कर दिया गया था, जिसे अब हटाकर मात्र वनभूमि प्रत्यावर्तन किये जाने का उल्लेख कर दिया गया है।
3	ऑन लाईन पार्ट—1(2)—4(2) में बांज के वृक्षो का उल्लेख किया गया है, किन्तु वृक्षों की सूची प्रपत्र में उक्त वृक्षों का उल्लेख नही है, व बांज वृक्षों का पातन हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्र में शून्य बांज वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। उक्त सूचनाएं परस्पर भिन्नता दर्शाती है, कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	ऑन लाईन पार्ट—1(2)—4(2) वन विभाग द्वारा भरा जायेगा, एवं उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में कोई भी बांज का पेड़ प्रभावित नही हो रहा है। इसलिए बांज वृक्षों के पातन हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्र में शून्य बांज वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। जिसकी हार्ड कॉपी संलग्न है।
4	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव की हार्ड कापी पूर्व में आपके विभाग को प्रेषित की जा चुकी है।

अधिशासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

Pmgsy s.